कलेक्टर की जनसुनवाई में ग्रामीणों ने पेयजल संबंधी समस्या रखी

कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आसींद का आकस्मिक निरीक्षण किया

भीलवाड़ा, (निसं)। जिला कलेक्टर नमित मेहता गुरुवार को आसींद क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत पालड़ी में ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनी। इसके पश्चात सीएचसी, आसींद का औचक निरीक्षण किया और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जांची। उन्होंने एसडीएम कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक भी की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण एवं गुड गवर्नेंस के निर्देशों के अनुपालना में जन समस्याओं के शीघ्र निराकरण के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य जैसे त्रिस्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा हैं। इसी कड़ी में माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं को सुनने के लिए जिला कलेक्टर नमित मेहता ग्राम पंचायत पालड़ी पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों की पेयजल, बिजली, रास्ता खुलवाने,

जिला कलेक्टर नमित मेहता ने ने उपखंड कार्यालय में पौधारोपण किया

जमीनों के मुआवजे, अतिक्रमण हटाने, पीएम आवास, नाला निर्माण सहित विभिन्न परिवेदनाओं का मौके पर ही निस्तारण कर ग्रामीणों को राहत प्रदान की। जनसुनवाई में एनएच-158 पर अवाप्त भूमि के मुआवजे संबधी ग्रामीणों के परिवाद प्राप्त हुए, जिस पर जिला कलेक्टर ने एसडीएम उम्मेद सिंह को अवाप्त जमीनों के मुआवजे के प्रकरणों को प्राथमिकता से लेकर ग्रामीणों को जल्द से जल्द मुआवजे दिलवाने के लिए निर्देशित किया। इसी प्रकार जनसुनवाई में पालड़ी व आसपास की ढाणियों से आए ग्रामीणों ने पेयजल संबंधी समस्या जिला कलक्टर के समक्ष रखी। जिला कलेक्टर ने इसे गंभीरता से लेते हुए पीएचईडी के अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाकर पेयजल सप्लाई दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही एसडीएम उम्मेद सिंह को क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रशिक्षु आईएएस भरत मीणा, तहसीलदार बीएल सैन सहित पानी, बिजली, चिकित्सा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

इसके पश्चात जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आसींद का आकस्मिक निरीक्षण किया तथा अस्पताल में दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने अस्पताल में सफाई व्यवस्था को लेकर कमियां मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने सीएचसी प्रभारी को अस्पताल परिसर में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने, मरीजों तथा उनके परिजनों के लिए बैठक व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के प्रभारी से अस्पताल की चिकित्सा की स्थिति की जानकारी ली। सीएमएचओ डॉ. सीपी गोस्वामी भी साथ मौजूद रहे।

■ कलेक्टर ने पीएचईडी के अधिकारियों को पेयजल सप्लाई दुरुस्त करने के निर्देश दिये

हाई कोर्ट जोधपुर से 30 साल बाद मिला शिक्षकों को न्याय

■ शिक्षिको को प्रथम नियुक्ति तिथि से दिया जाए सेवा लाभ

ब्यावर, (निसं)। जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने प्रथम नियुक्ति तिथि से शिक्षको का सेवाकाल प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना करने का आदेश दिया, वही उसे समस्त सेवा परिलाभ भी दिलाए हैं।

न्यायालय ने यह आदेश अपीलकर्ता मदन लाल कडेला, वरिष्ठ अध्यापक सुमेल,राधेश्याम विरायच बर व अन्य बनाम राजस्थान सरकार की याचिका पर यह आदेश दिया। प्रार्थी पक्षगण की ओर से अधिवक्ता रतन अणकिया ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकार्ताओं की प्रथम नियुक्ति जनवरी से मई तक हुई है, लेकिन शिक्षा विभाग ने 31 दिसंबर के बाद नियुक्त कर्मचारियों को ग्रीष्मावकाश का वेतन नहीं दिए जाने का निर्देश दिया।

ग्रीष्मावकाश की इस अवधि के लिए याचिकाकर्ता की सेवा में ब्रेक माना गया और उसे एक जुलाई से सेवा में नियमित मानते हुए वार्षिक वेतन वृद्धि, चयनित वेतनमान और वरिष्ठता आदि का लाभ दिया। याचिका में इसे चुनौती देते हुए कहा कि याचिकाकार्ताओं की नियुक्ति स्वीकृत रिक्त पद पर जुन माह से पहले हो गई और नियुक्ति आदेश की पालना में कार्य ग्रहण भी कर लिया था। शिक्षा विभाग समान मामलों में शिक्षकों को उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा परिलाभ दिलाए, वहीं याचिकाकर्ता सेवा परिलाभ मिलने में देरी के कारण वेतन, भत्ते और वरिष्ठता में साथी शिक्षकों से पिछड गई। ऐसे में उसे प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा परिलाभ दिए जाएं।

इस पर कोर्ट ने उसे राहत देने का आदेश दिया और याचिकाकर्ताओ द्वारा प्रस्तुत परिवेदनाओं का न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में निस्तारण कर याचिकाकर्ताओ को प्रथम नियुक्ति तिथि से समस्त परिलाभ दिया जाने का आदेश दिया।वर्तमान में अपील कर्ता मदनलाल कडेला वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुमेल ब्यावर तथा राधेश्याम बिरायच अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बर ब्यावर में कार्यरत है।

नाम परिवर्तन

मैं आशा पत्नी पृथ्वीराज पुत्री चतुर सिंह निवासी गुलाबबाड़ी रामदेव विहार कॉलोनी अजमेर ने अपना नाम आशा से बदल कर आशा राज रख लिया है भविष्य में मुझे आशा राज के नाम से जाना पहचाना जावे।

आम सूचना

मेरे पिता श्री लक्ष्मीनारायण माली पुत्र गंगाराम जाति माली निवासी ग्राम उदयपुरकलां तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर का स्वर्गवास मेरे निवास स्थान पर दिनांक 28 जुलाई 2009 को हो गया है, जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिये तहसीलदार कार्यालय किशनगढ़ में आवेदन किया है। इस संबंध में किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो मय दस्तावेज 7 दिवस के भीतर तहसीलदार कार्यालय किशनगढ़ में संपर्क करे। प्रार्थी-रामरतन माली पुत्र लक्ष्मीनारायण माली

आम सूचना

मेरे पिता श्री सुवालाल पुत्र भीवा जाति खटीक निवासी खटीको का मोहल्ला, नया शहर, किशनगढ़ जिला अजमेर का स्वर्गवास मेरे निवास पीहर स्थित निवास स्थान खटीको का मोहल्ला, नया शहर, किशनगढ़ पर दिनांक 11 अप्रैल 1982 को हो गया है, जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिये तहसीलदार कार्यालय किशनगढ़ में आवेदन किया है। इस संबंध में किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो मय दस्तावेज 7 दिवस के भीतर तहसीलदार कार्यालय किशनगढ़ में संपर्क करे। प्रार्थिया-नाथी पुत्री सुवालाल एवं पत्नी मंगल

आम सूचना

मेरी मां श्रीमती तुलसी देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण माली जाति माली निवासी ग्राम उदयपुरकलां तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर का स्वर्गवास मेरे निवास स्थान पर दिनांक 13 नवम्बर 2007 को हो गया है, जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिये तहसीलदार कार्यालय किशनगढ़ में आवेदन किया है। इस संबंध में किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो मय दस्तावेज 7 दिवस के भीतर तहसीलदार कार्यालय किशनगढ़ में संपर्क करे। प्रार्थी-रामरतन माली पुत्र लक्ष्मीनारायण माली

रैली निकाली नारेबाज़ी कर प्रदर्शन किया ज्ञापन सौंपा

मसूदा, (निसं)। संसद में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी की ओर से हिंदू विरोधी बयान देने के विरोध में गुरुवार को सकल हिंदू समाज ने मसूदा कस्बे में राहुल गांधी के पुतले के शव यात्रा निकाली तथा राष्ट्रपति के नाम मसूदा तहसीलदार को ज्ञापन दिया मसूदा स्थित राव सर्किल पर पुतला दफन।

इससे पूर्व सकल हिंदू समाज से जुड़े कार्यकर्ता मसूदा अखाड़े वाली बालाजी में एकत्रित हुए उसके बाद कस्बे के मुख्य बाजार से होकर उपखंड कार्यालय पहुंचे जहां राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर मसूदा तहसीलदार श्यामलाल आमेटा को ज्ञापन दिया ज्ञापन में राहुल गांधी को आरोग्य सांसद घोषित कर संसद सदस्यता समाप्त करने की मांग की इसके बाद कार्यकर्ताओं ने राव सर्किल पर पुतले को दफ़न के हवाले किया ज्ञापन में बताया।

मंडल अध्यक्ष ने कहा कि अहिंसा परमोधर्म हिंदुओं की सनातन नीति रही है।यह सिख हमें महाभारत ग्रंथ से मिलती है। हिंदू अहिंसा में परम विश्वास के कारण रास्ते में आने वाली चोटियों को बचाकर चलता है। हिंदू ने हिंसा का सहारा लेकर कभी किसी धर्म परिवर्तन नहीं करवाया इस बात का इतिहास गवाह है।मनीष कुमार जोशी ने कहां की असत्य को उच्चारित नहीं करता है। हिंदू सत्यमेव जयते(मुण्डको उपनिषद, हिंदू ग्रथ) पर गहरी आस्था रखता है। और विजय सिंह ने कहां हिंदू की पहचान सत्य वदम धर्मम चर है।

वृक्षारोपण किया

ब्यावर, (निसं)। राज्य सरकार के राजस्थान को प्रदूषण मुक्त राज्य एवं हरित राज्य की संकल्पना एवं विद्यालय ग्रीष्मकालीन सात दिवसीय शिविर (समर कैम्प) की पानी बचाऐं गतिविधी अंतर्गत गुरूवार को शहीद अमरसिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कालिंजर ब्लॉक जवाजा मे ब्रजपाल सिंह रावत सरपंच राजियावास एवं विद्यालय प्रधानाचार्य गजेन्द्र तुनगारिया द्वारा विद्यालय में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ रतन सिंह चौहान, डूंगर सिंह, नीरज सैनी, निक्की शेखावत, किरण सिंगाडिया, कंचन चौहान, नमिता शर्मा, निर्मल धौलपुरिया, बनवारी लाल, देवराज कुमावत, उमा कुमारी मीना, गणेश कुमार, हिमांशु कुर्डिया अध्यापक उपस्थित रहे। पिछली रिकॉर्ड गर्मी को मध्यनजर रखते हुए वर्षा ऋतु के इस मौसम में सभी विद्यार्थियों को भी 5-5 पेड लगाने हेतु प्रेरित किया।

नीट परीक्षा रद्द करने व शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग

अजमेर, (कासं)। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर गुरुवार को यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संभाग स्तरीय रेल रोको आंदोलन किया।

इस आंदोलन को जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने आंदोलन पर पानी फेर दिया, जिसके चलते यह आंदोलन पूरी तरह फ्लॉप शो साबित हुआ। यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन के बाहर ही धरना पर बैठ गए।

■ रेलवे स्टेशन में अंदर घुसने की कोशिश पर किया गिरफ्तार

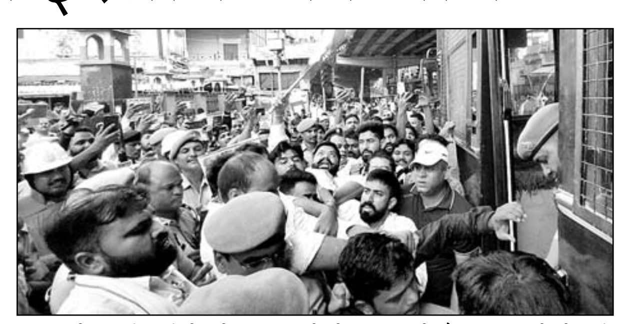

पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बस में बैठा कर थाने ले गई।

कार्यकर्ता जब रेल रोकने के लिए रेलवे स्टेशन परिसर में घुसने की कोशिश के लिए पुलिस से धक्की मुक्की की। पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बस में बैठा कर थाने ले गई। आंदोलन के मद्देनजर रेलवे स्टेशन सहित रेलवे लाइन पर जीआरपी, आरपीएफ सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। प्रदेश नेतृत्व के आव्हान पर संभाग मुख्यालय पर रेल रोको आंदोलन का आव्हान किया था।

चोरों ने एसी, हेलोजन लाइट व कैमरे चुराये

अजमेर, (कासं)। शहर में सक्रिय चोर गिरोह ने रामगंज थाना क्षेत्र के ब्यावर रोड स्थित डीबीएन स्कूल में वारदात अंजाम देकर स्कूल से एसी का आउटडोर, हैलोजन लाईट व कैमरे चुरा ले जाने का मामला सामने आया है। प्रिंसिपल ने रामगंज थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

रामगंज थाना पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसा थाना क्षेत्र के ब्यावर रोड स्थित डीबीएन सीनियर सैकंडरी स्कूल के प्रिंसिपल नवनीत ठाकुर ने रामगंज थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ स्कूल में सामाान चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। दर्ज रिपोर्ट में प्रिंसिपल ठाकुर ने बताया कि स्कूल भवन के पीछे के हिस्से से 15 जून को एक एसी का आउटडोर, हैलोजन लाईट व कैमरे चोरी हो गए थे। इस सम्बन्ध में पूर्व में शिकायत दी गई थी। लेकिन बीती रात एक बार फिर चोरों ने वारदात का प्रयास किया, सुबह चार बजे करीब 7-8 व्यक्ति विद्यालय के पीछे आए थे। स्कूल के चौकीदार की सजगता और चिल्लाने पर चोर भाग गए, अन्यथा बड़ी वारदात घटित हो सकती थी। स्कूल डीएवी कालेज मैनेजिंग कमेटी नई दिल्ली के अंतर्गत संचालित है। स्कूल की कोई भी सामग्री चोरी होती है तो उसकी एफआईआर की कॉपी मांगी जाती है। प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर गुरुवार को मौका मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्रमांक: अविप्रा/प.3/भू.उ.परि./2024/CLU-411/5516 दिनांक : 27.06.2024

सार्वजनिक सूचना

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के अधिसूचना क्रमांक प.11 (8) नविवि/2020 दिनांक 24.02.2021 एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के अन्तर्गत निम्नांकित भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है :-

क्र. सं.	नाम आवेदक	योजना/राजस्व ग्राम का नाम	खसरा संख्या/प्लॉट नं.	कुल क्षेत्रफल	जोनल डवलपमेंट प्लान 2033 (जोन-2) के अनुसार भू-उपयोग	स्वीकृत भू-उपयोग	चाहा गया भू-उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गुलाबो सपेरा नृत्य व संगीत संस्था	गनाहेड़ा (तहसील पुष्कर)	खसरा संख्या 3219/539	215.31 वर्गमीटर	परिधि नियंत्रण पट्टी	परिधि नियंत्रण पट्टी	संस्था निक

उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर किसी संस्था/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपनी आपत्ति कारण/विवरण सहित अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में दर्ज करावें अन्यथा अवधि के उपरान्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

मुकेश मित्तल, सहायक नगर नियोजक, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

आम सूचना

मैं मेरे मुवक्किल प्रकाशचन्द पामेचा पुत्र श्री रतनलाल पामेचा उम्र 72 वर्ष जाति जैन निवासी बी-146 रियलिस्टीक राजदरबार सिटी, विजयनगर तहसील व थाना विजयनगर जिला ब्यावर (राज.) के जरिये इस आम सूचना के हर आम खास को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल का पुत्र मीतेश पामेचा जो कि वर्तमान समय में मेरे मुवक्किल के कहने में नहीं है और उससे मेरे मुवक्किल का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। मेरा मुवक्किल आज दिनांक को इस आम सूचना के जरिये उसे अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर उससे अपने समस्त प्रकार के रिश्ते समाप्त कर रहा है। इस आम सूचना के पश्चात कोई भी व्यक्ति यदि मेरे मुवक्किल के पुत्र मीतेश पामेचा - से किसी प्रकार का कोई सव्यवहार अथवा पैसो का लेन देन करता है तो वह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी उससे मेरे मुवक्किल का किसी प्रकारं का कोई लेना देना नहीं होगा।

दिनांक 4.7.2024

भवदीय
अरिहंत लोढ़ा एडवोकेट
महावीर बाजार विजयनगर
जिला-ब्यावर (राज) मो नं 9214988110

पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का हुआ आयोजन

आसींद, (निसं)। आसींद उपखंड क्षेत्र की कटार ग्राम पंचायत अटल सेवा केंद्र में ग्राम विकास अधिकारी रघुनाथ सिंह राठौड़ ने पंचायत स्तरीय कार्मिकों के साथ प्रत्येक माह गुरुवार को होने वाली पंचायत स्तरीय जनसुनवाई बैठक का आयोजन किया गया वहीं इस दौरान ग्राम पंचायत कटार के ग्रामीणों के द्वारा विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखी जिसके त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों ने समाधान के लिए आश्वस्त किया तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों को योजनाओं के बारे में जनसुनवाई के दौरान जानकारियां प्रदान की। वहीं बैठक के ग्राम पंचायत क्षेत्र में वृक्षारोपण करने के हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वही इस दौरान ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष नेनू राम गुर्जर, ग्राम विकास अधिकारी रघुनाथ सिंह राठौड़, पटवारी महिपाल सिंह तंवर, कृषि पर्यवेक्षक कृष्णा चंदेल, आयुर्वेदिक कंपाउंडर अखिलेश वैष्णव, एएनएम कौशल्या वैष्णव आदि मौजूद रहे।

बस में सफर कर रहे यात्री के बैग से पौने दो लाख रुपए चोरी

अजमेर, (कासं)। एक प्राइवेट कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर दिल्ली से प्राइवेट स्लीपर बस से अजमेर आ रहे थे, इसी दौरान दूदू के पास बस में रखे बैग से अज्ञात चोर द्वारा पौने दो लाख रुपए चोरी करने का मामला सामने आया है। पीडित् ने बस को सिविल लाइन रुकवाया और पुलिस को चोरी की सूचना दी। पुलिस ने बस की तलाशी लेकर बस में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो एक संदिग्ध युवक बस से उतरते हुए नजर आया। पीडित् की शिकायत पर पुलिस ने जीरो नंबर एफआईआर दर्ज कर मामला दूदू पुलिस को भेज दिया है, मामले की जांच अब दूदू पुलिस करेगी।

चंद्रवरदाई नगर निवासी आकाश धनोपिया ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर कार्य करता है। देर रात कंपनी से 1 लाख 87 हजार रुपए नगदी लेकर प्राइवेट स्लीपर बस में दिल्ली से अजमेर आ रहा था। इस दौरान बस दूदू में एक होटल पर रुकी थी। जहां वह अपने बैग को बस में रखकर वॉशरूम चला गया। पीडित् ने बताया कि वॉशरूम जाने के बाद वह वापस अपनी सीट पर आ गया। जब बस अजमेर पहुंची और उसने बैग चेक किया तो बैग से नगदी गायब मिली।

सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा पीडित् की सूचना के बाद जब बस की तलाशी ली गई। बस में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक की गई, जिसमें दूदू पर रुकी बस में एक चोर बस के अंदर घुसकर नगदी चोरी कर फरार होता दिखाई दे रहा है। अज्ञात चोर द्वारा बस के अंदर लगे सीसीटीवी क्रीम लगाकर छेड़छाड़ भी की, जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे सके।

■ पीडित् ने पुलिस में दी शिकायत, सीसीटीवी फुटेज में दिखा संदिग्ध

नव प्रवेशी बालकों का स्वागत किया

शाहपुरा, (निसं)। स्थानीय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुंड गेट में युगपुरुष एवं युवाओं के प्रेरणा स्त्रोत स्वामी विवेकानंद जी की 122 पुण्यतिथि पर विद्यालय में नव प्रवेशी बालकों स्वागत कार्यक्रम रखा गया इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक देवी लाल बेरवा ने सभी का स्वागत करते हुए विद्यालय की गतिविधियों की जानकारी दी इस अवसर पर जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण किया एवं पूर्व में लगे हुए पौधों का अवलोकन भी किया और पौधारोपण कार्य की सराहना की इस अवसर पर छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि आज युगपुरुष स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है जो कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत है उनके संस्कारों को एवं विचारों को जीवन में अपनाना चाहिए और नव प्रवेशी बालकों का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है और कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है अत: सभी शिक्षित बने पढ़ लिख कर आगे बढ़े।

प्रश्न काल के दौरान एडीजे कोर्ट कैम्प खोलने की रखी मांग

आसींद, (निसं)। राजस्थान विधानसभा सत्र के दौरान आसींद हुरडा क्षेत्रीय विधायक जब्बर सिंह सांखला ने प्रश्न काल के दौरान मांग रखी सिविल न्यायालय आसींद में हर हफ्ते में एडीजे कोर्ट केम्प 2 दिन खोलने की रखी मांग। विधि मंत्री ने शीघ्र संचालित करने का दिया आश्वासन। विधायक प्रतिनिधि अनिल सिंह तंवर ने बताया कि सोहलवी विधानसभा के दूसरे सत्र में विधायक जब्बर सिंह सांखला ने विधानसभा में प्रश्न काल के दौरान विधि मंत्री जोगाराम पटेल से प्रश्न करते हुवे पूछा कि नगर पालिका क्षेत्र आसींद में नवीन एडीजे कोर्ट खोलने व उपखंड बदनोर में नवीन सिविल कोर्ट खोलने की रखी मांग। जिस पर विधि मंत्री ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/ प्रस्ताव प्राप्त होने एवं निर्धारित माप दंड के अनुसार मुख्यालय पर अपर जिला न्यायालय खोला जा सकेगा।

उपखंड बदनोर मैं पूर्व में सिविल कोर्ट आसींद में प्रकरण विचाराधीन थे किंतु वर्तमान में बदनोर ब्यावर जिले में सम्मिलित हो जाने के कारण सारे प्रकरण सेशन न्यायालय ब्यावर स्थानांतरित कर दिए गए जिससे आम किसानों को जिला मुख्यालय जाने पर मजबूर है। मंत्री जोगाराम पटेल ने सदन में जवाब देते हुए बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार नवीन न्यायालय खोला जा सकेगा। विधायक जब्बर सिंह सांखला ने विधि मंत्री को बताया कि आसींद न्यायालय में 600 से 700 प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है क्षेत्र के लोगों को उक्त प्रकरणों में आसीन्द से गुलाबपुरा 50 किलोमीटर की दूरी पर जाना पड़ता है जो अत्यधिक दूर है।

■ सारे प्रकरण सेशन न्यायालय ब्यावर स्थानांतरित कर दिए गए जिससे आम किसानों को जिला मुख्यालय जाने पर मजबूर है

'देश में लागू नए कानून जनहित में'

अजमेर, (कासं)। भाजपा मीडिया विभाग व विधि प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में प्रेसवार्ता आयोजित की। प्रेसवार्ता में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रधानंमत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के तीन कानूनों को समाप्त कर जो नए कानून लागू किए हैं वे जनहित में हैं।

केंद्रीय राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी ने बताया कि अंग्रेजों के जमाने के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम अब समाप्त हो गए हैं। अब इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। नए कानून में दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स को कानूनी वैधता दी गई है। जीरो एफआईआर से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता। नए कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आएगा और पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाए। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड या उम्रकैद का प्रावधान जोड़ा गया है। चौधरी ने कहा कि यह बहुत पीड़ा दायक बात है कि हिंदुओं के लिए राहुल जब भी बोलते हैं पीड़ा बोलते हैं। उन्हें अपनी भाषा पर सयंम रखना चाहिए।

डेयरी एवं पशुपालन विभाग को कृषि क्षेत्र में सम्मिलित करने की मांग

सम्मिलित नहीं करने से डेयरी एवं पशुपालन विमाग, कृषि क्षेत्र में मिलने वाली समस्त सुविधा से वंचित हो रखे है

अजमेर, (कासं)। विगत लम्बे अर्से से डेयरी एवं पशुपालन विभाग को कृषि क्षेत्र में सम्मिलित नहीं करने से डेयरी एवं पशुपालन विमाग, कृषि क्षेत्र में मिलने वाली समस्त सुविधा से वंचित हो रखे है जिससे की डेयरी एवं पशुपालन क्षेत्र में पशुपालकों की आय दुगुनी होने से वंचित हो रहे है यह कहना है अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचन्द्र चौधरी का। चौधरी ने इसके लिए पशुपालन डेयरी एवं गोपानमंत्री को पत्र लिखकर डेयरी एवं पशुपालन विभाग को कृषि क्षेत्र में सम्मिलित करने की मांग की है।

पशुपालन मंत्री को लिखे पत्र में रामचन्द्र चौधरी ने बताया कि कृषि क्षेत्र में आने से आपदा प्रबन्धन में अकाल, अतिवृष्टि, शीतलहर के समय फसल बीमा का शतप्रतिशत लाम मिलता है अथवा राज्य सरकार द्वारा राहत दी जाती है। इसकी तर्ज पर यह समस्त सुविधाएं पशुपालकों को मिलना प्रारम्भ हो जावेगी। यदि पशुपालन में लम्पी जैसी भयंकर बीमारी आती है तो कृषि क्षेत्र में

पशुपालन डेयरी एवं गोपानमंत्री को पत्र लिखकर डेयरी एवं पशुपालन विभाग को कृषि क्षेत्र में सम्मिलित करने की मांग की है।

मिल रहा आपदा प्रबन्धन की तर्ज पर पशुओं की मृत्यु पर मुआवजा भारत सरकार द्वारा दिया जा सकेगा।

कृषि क्षेत्र में किसानों की उपज खरीदने के लिए गठन हो रखा है इसी प्रकार सरप्लस दूध खरीदने हेतु स्थापना हो सकेगी एवं दूध की खरीद पर कृषि जिन्सों की भांति समर्थन मूल्य मिल सकेगा।

कृषि में जिस प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आवश्यकता अनुसार ऋण उपलब्ध होता है उसी प्रकार डेयरी एवं पशुपालन में भी पशुपालक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण कृषि क्षेत्र की भांति उन्हीं शर्तों पर मिल सकेंगा जिससे पशुपालक उन्नत किस्म के पशु खरीद सकेगा, पशु आहार एवं चारा, पशुओं के रखरखाव के लिए छप्पर, चारे एवं पानी की खेली एवं पशुओं के बाडे की चारदिवारी का निर्माण भी कर सकेगा।

फुटपाथ से हटाए अस्थाई अतिक्रमण

अजमेर, (कासं)। एसपी देवेंद्र कुमार विश्नोई के दिशा निर्देशों पर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार को यातायात पुलिस ने कलेक्ट्रेट के बाहर फुटपाथ पर लगे अस्थाई अतिक्रमण अतिक्रमणों को हटाया। पुलिस ने गन्ने की मशीन, फ्रूट के ठेले सहित अन्य सामान को जब्त करने की कार्यवाही अंजाम दी।

अतिक्रमियों को सख्त हिदायत दी कि यदि दोबारा अतिक्रमण किया तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। यातायात पुलिस अधिकारी भीकाराम काला ने बताया कि गुरुवार सुबह जिला कलेक्ट्रेट के परिधि क्षेत्र में सडक् व फुटपाथ पर अस्थाई अतिक्रमण से लगने वाले जाम व राहगीरों को पैदल चलने में हो रही परेशानी को देखते हुए तथा मुख्य सडक् पर आए दिन यातायात बाधित होने की शिकायत मिल रही थी। एसपी देवेंद्र विश्नोई के दिशा निर्देशों और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए कार्यवाही करते हुए फुटपाथ से अस्थाई अतिक्रमण हटाए गए और नो वेंडिंग जोन में लगे फ्रूट के ठेले और गन्ने की मशीन सहित अन्य सामान हटाकर जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि शहर में नो वेंडिंग जोन में लगे फ्रूट, सब्जी, गन्ने की मशीन सहित अन्य खाद्य सामग्रियों के ठेले पर खरीददारी करने वाले लोगों की भीड़ की वजह से यातायात बाधित होता है।

कार्यालय नगरपालिका गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

भीलवाड़ा रोड रोडवेज बस स्टेण्ड के पास

E-Mail ID-eombgbp@yahoo.in and npbgulabpura@gamil.com Teliphone No. 01483-223079

- आपत्ति आमन्त्रण सूचना-

क्रमांक: न0पा0गु0/2024/436 दिनांक- 2/7/2024

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत गुलाबपुरा द्वारा बापी पट्टा दिनांक 25.12.1966 से श्री ईस्माईल पुत्र श्री घीसा खां निवासी गुलाबपुरा, दोवनिया बालाजी रोड पर स्थित भूखण्ड संख्या 15 वनाप 30X45=1350 कुल क्षेत्रफल 150 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया। जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरपालिका गुलाबपुरा के पत्र क्रमांक/न.पा.गु./विकास/2020-21/2147 दिनांक 13.01.2021 से जारी किया गया। जिसमें पडौस निम्न है-

पूर्व- आम रास्ता स्थित पश्चिम- गली आम 08 फीट स्थित
उत्तर- खाली जमीन स्थित दक्षिण- पोखर जी का भट्टा स्थित

श्री ईस्माईल पुत्र श्री घीसा खां निवासी गुलाबपुरा की मृत्यु दिनांक 07.09.2022 को होने से प्रार्थी के पोते श्री मोहसीन खान पुत्र श्री शरीफ मोहम्मद द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड के पडोसान निम्न संशोधन कर शुद्धिकरण प्रमाण पत्र चाहा गया है।

पूर्व- दोवनिया बालाजी रोड पश्चिम- खाली भूखण्ड स्थित
उत्तर- प्रेम मेरिज गार्डन स्थित दक्षिण- 08 फीट गली स्थित

अतः इस बाबत् किसी भी व्यक्ति को कोई आपति हो तो मय सबूत के अन्दर मियाद 07 दिवस में पालिका में प्रस्तुत कर सकते है। बाद समयावधि कोई आपति मान्य नही होगी एवं शुद्धिकरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने संबंधी कार्यवाही की जाकर आवेदक के पक्ष में शुद्धिकरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा। 'सूचित हो'

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका गुलाबपुरा

कार्यालय नगर पालिका पुष्कर जिला अजमेर

सदर बाजार, बद्री घाट के पास पुष्कर

E-Mail :- np.pushkar.nagarpalika@gmail.com Ph: 0145.2773025

क्रमांक/न.पा.पु/भूमि/2024/591 दिनांक-04.07.2024

लोक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री रोहित कुमार जैन पुत्र श्री कमल कुमार जैन, श्री संजय कुमार जामड पुत्र स्व. श्री सरदार सिंह जामड, श्री राजेंद्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री नाथूलाल जैन, श्री सुनील कुमार जामड पुत्र स्व. श्री सरदार सिंह जामड निवासीगण बी-39, छतरी योजना, वैशाली नगर, अजमेर द्वारा इस कार्यालय में निम्न उल्लेखित भूमि का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है।

राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	प्रयोजन
राजस्व ग्राम, तहसील व जिला राजस्व ग्राम पुष्कर, तह. पुष्कर, जिला	खसरा सं. 3565/850	1611 वर्गमीटर	व्यवसायिक

अतः किसी भी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो लोक सूचना प्रकाशन के 07 दिवस में किसी भी कार्यालय दिवस पर कार्यालय समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। बाद मियाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। अतः सूचित होवें।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका पुष्कर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन किशनगढ़ अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्रमांक: LU2012/ADA /2024-25/101214 दिनांक 03/07/2024

लोक सूचना

श्री M/S RPKAMLA INDUSTRIES LLP PARTNER SH. SURESH BANSAL पुत्र श्री RAMGOPAL AGARWAL जाति AGARWAL निवासी NAYA BAZAR, AJMER ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	मुहामी, अजमेर (अजमेर)	M/S RPKAMLA INDUSTRIES LLP	10	7300	0.73
2.	मुहामी, अजमेर (अजमेर)	M/S RPKAMLA INDUSTRIES LLP	14	800	0.08
3.	मुहामी, अजमेर (अजमेर)	M/S RPKAMLA INDUSTRIES LLP	15	5500	0.55
4.	मुहामी, अजमेर (अजमेर)	M/S RPKAMLA INDUSTRIES LLP	9	16800	1.68
				कुल	3.04

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकान पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 03/07/2024 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी, जोन किशनगढ़ अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर